उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

सं0-23/692/38-6-15-01(पीएमएजीवाई)/2015टीसी-1

लखनऊ: दिनांक-11 जून, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(पीएमएजीवाई) के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देश के प्रस्तर-7(2) के उप प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार योजना के विभिन्न क्रिया-कलापों के सम्पादन हेतु दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (एसआईआरडी) बक्शी का तालाब,लखनऊ को योजना के तकनीकी संसाधन सहयोग हेतु एतदद्वारा राज्य एजेन्सी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- नामित उक्त संस्थान द्वारा भारत सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत गाइड लाइन के अनुसार यथावश्यकता तकनीकी संसाधन सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव।

<u>संख्या-23/692(1)/38-6-15-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

2- महानिदेशक, एसआईआरडी, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।

4- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/